04/08/18 कार्यवाही पेश हुई। [illegible] अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण कार्यवाही आगे तथा अग्रिम दिनांक 07/08/18 को पेश हो।

07/08/18 कार्यवाही पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित। परिवादित अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण कार्यवाही आगे तथा अग्रिम दिनांक 09/10/18 को पेश हो।

09/10/18 कार्यवाही पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित। परिवादित अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण कार्यवाही आगे तथा अग्रिम दिनांक 17/12/18 को पेश हो।

17/12/18 कार्यवाही पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित। परिवादित अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण कार्यवाही आगे तथा अग्रिम दिनांक 01/01/19 को पेश हो।

01/01/19 कार्यवाही पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित। बार-बार आवाजें लगाई गई। वादी वकील व वादी स्वयं कोई उपस्थित नहीं आया। तथा काफी इन्तजार करने के बाद भी वादिगण अदालत में सच नहीं दिखाई और ना ही सम्मन तामील पेश किया जो आदेशिका दिनांक 15/07/18 से निरस्त नम्बर 20 है। परिणामस्वरूप आदेश 9 नियम 5 CPC का उल्लंघन है और सम्मन तामील के अभाव में वाद पत्र चलने योग्य नहीं है। आदेश 9 नियम 5 CPC के तहत प्रकरण खारिज किया जाता है। कार्यवाही उपरान्त शुमार होकर दफ्तर से लघु होकर दाखिल दफ्तर हो।

O-9, R-5 (Dismal of suit)

उपखण्ड अधिकारी
कतरगढ़ : बीकानेर

अलादीन